संख्या-1135/78-1-2016-25/2012टीसी-9

प्रेषक,

संजीव सरन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक:06 सितम्बर, 2016

विषयः उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016 के बिन्दु 3.3.1.1 ब्याज उपादान तथा 3.3.1.6 औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान के सम्बन्ध में

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-449/78-1-2016-25/2012 दिनांक 06 अप्रैल 2016 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को पुनरीक्षित करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 प्रख्यापित की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को अवक्रमित करती है।

2- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016 के प्रस्तर संख्या-3.3.1.1 ब्याज उपादान तथा 3.3.1.6 औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान में निम्नवत् व्यवस्था की गई हैः-

3.3.1.1 ब्याज उपादान

अनुसूचित बैंकों (Scheduled Banks)/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर अदा किये गये ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रू0 1.00 करोड़ होगी।

3.3.1.6 औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान

- रू0 100 करोड़ अथवा इससे अधिक का व्यवसाय करने वाली आई0टी0 इकाइयों द्वारा यदि 02 वर्षों की अवधि में 25 प्रतिशत अथवा अधिक क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त पूंजीगत निवेश किया जाता है तो उन्हें नई इकाइयों को अनुमन्य प्रोत्साहनों (राज्य अभिकरणों से क्रय की गई भूमि पर छूट को छोड़कर) के 50 प्रतिशत के समतुल्य औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान अनुमन्य होगा।

3- उपरोक्त हेतु पात्र इकाइयों को ब्याज उपादान की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगीः-

3.1 ब्याज उपादान का विवरण

3.1.1 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी ऐसी इकाईयां जिनके द्वारा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी हेतु ऋण की धनराशि वित्तीय संस्थान/बैंक से प्राप्त कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों तथा व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने की तिथि से 07 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज उपादान अनुमन्य होगा।

3.1.2 इकाई द्वारा अनुसूचित बैंक/वित्तीय संस्थानों को अदा किये गये ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष तक उपादान की धनराशि सीमित होगी तथा इसकी सीमा रू 1 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति इकाई होगी।

उदाहरणार्थ सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग क्षेत्र की किसी इकाई द्वारा 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर किसी बैंक से रू0 10 करोड़ का सावधि ऋण लिये जाने हेतु एक अनुबन्ध किया जाता है। इस धनराशि पर ब्याज राशि रू0 70 लाख प्रति वर्ष होती है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016 के अनुसार व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने की तिथि में इकाई रू0 50 लाख प्रतिवर्ष का ब्याज उपादान प्राप्त करने की पात्र होगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वास्तविक 5 प्रतिशत ब्याज, रू0 50 लाख की अधिकतम सीमा तक की धनराशि इकाई को उपादान स्वरूप भुगतान की जायेगी तथा शेष रू0 20 लाख प्रतिवर्ष की ब्याज धनराशि का दायित्व स्वयं इकाई का रहेगा। तत्पश्चात शेष वर्षों में ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि रू0 70 लाख (अथवा वास्तविक दर से आगणित ब्याज राशि) इकाई द्वारा भुगतान की जायेगी।

3.1.3 **उपादान की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार से होगी:-**

3.1.3.1 इकाई द्वारा भुगतान किये जा रहे ब्याज की दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम होने की दशा में वास्तविक ब्याज दर के समतुल्य धनराशि।

3.1.3.2 इकाई द्वारा भुगतान किये जा रहे ब्याज की दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष अथवा इससे अधिक होने की दशा में 5 प्रतिशत ब्याज दर के समतुल्य धनराशि।

3.1.3.3 प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि की सीमा रू0 1.00 करोड़ प्रति इकाई प्रति वर्ष होगी।

3.1.4 ब्याज उपादान केवल अनुसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रभारित ब्याज पर अनुमन्य होगा। कोई दण्ड ब्याज अथवा अन्य शुल्क इस प्रोत्साहन के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होगा।

3.1.5 ब्याज उपादान 7 वर्ष अथवा ऋण भुगतान की अवधि, जो भी पहले समाप्त हो, के लिए प्रदान किया जायेग।

3.1.6 यदि बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा इकाई को डिफाल्टर घोषित किया जाता है तो डिफाल्ट की पश्चातवर्ती अवधि हेतु इकाई को ब्याज उपादान प्रदान नहीं किया जायेगा।

3.1.7 व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने के उपरान्त, निर्दिष्ट अवधि जिसके लिए ब्याज उपादान की मांग की जाती है, यदि किन्हीं कारणवश, उक्त अवधि में 6 माह से अधिक अवधि हेतु इकाई का परिचालन बन्द रहा हो तो उस दशा में ब्याज उपादान की धनराशि उक्त अवधि के लिये अनुमन्य नहीं होगी।

3.1.8 इस योजना का लाभ उन्हीं इकाइयों को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत लिये गये ऋण पर किसी प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।

3.1.9 जिन इकाइयों को केस-टू-केस आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृत किया जायेगा, उन्हें ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.2 <u>ब्याज उपादान की स्वीकृति एवं उसके वितरण की प्रक्रिया</u>

3.2.1 इकाई द्वारा ब्याज उपादान की प्राप्ति हेतु अर्द्धवार्षिक आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष अप्रैल से सितम्बर की अवधि हेतु अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर तथा अक्टूबर से मार्च की अवधि हेतु अन्तिम तिथि 30 जून होगी।

3.2.2 आवेदक इकाई द्वारा निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-अ) पर प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी। कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को इकाई द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

3.2.3 कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये संलग्न दस्तावेजों का सम्बन्धित विभागों एवं वित्तीय संस्थाओं इत्यादि से सत्यापन कराया जायेगा। सम्बन्धित विभाग एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा सत्यापन का कार्य कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा।

3.2.4 इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त इकाई को ब्याज उपादान अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

3.2.5 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त इकाई को ब्याज उपादान धनराशि की प्रतिपूर्ति विषयक आदेश निर्गत किया जायेगा। इकाई को स्वीकृत धनराशि एवं तत्सम्बन्धी नियमों एवं शर्तों से अवगत कराया जायेगा। तत्पश्चात कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा इकाई को ब्याज उपादान की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3.2.6 प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने की दशा में अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करते हुए इकाई को दो सप्ताह में लिखित रूप से सूचित कर दिया जायेगा।

3.3 <u>औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान का विवरण तथा उसके वितरण की प्रक्रिया</u>

3.3.1 सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवाओं सम्बन्धी ऐसी इकाइयां जिनके द्वारा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर, रू0 100 करोड़ अथवा इससे अधिक का व्यवसाय करने वाली इकाईयों को, 02 वर्षों में 25 प्रतिशत या उससे अधिक क्षमता विस्तार करने पर नवीन इकाइयों को मिलने वाले ब्याज उपादान के सापेक्ष 50 प्रतिशत उपादान ही अनुमन्य होगा।

3.3.2 उक्त उपादान शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर (5 वर्षों अथवा नीति की वैधता तिथि तक) उक्त प्रकार की इकाई अधिकतम जितनी बार क्षमता विस्तार करती है (2 वर्ष में या उससे पहले भी), उक्त इकाई उतनी बार औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान की पात्र होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.3.3 दो वर्षों में 25 प्रतिशत क्षमता विस्तार होने का आकलन प्रमाण-पत्रों के आधार पर किया जायेगा। यदि इकाई 2 वर्ष से पूर्व ही उक्त क्षमता-विस्तार कर लेती है, तो भी वह उपादान की पात्र होगी।

3.3.4 औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान प्राप्ति के लिए भी उपरोक्त प्रस्तर 3.2 एवँ उसके उप प्रस्तरों में वर्णित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

3.4 आच्छादन

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

3.5 परिभाषायें

एतद्द्वारा संलग्न, अनुलग्नक-स के अनुसार।

3.6 न्यायालय का क्षेत्राधिकार

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

3.7 व्यय भार

ब्याज उपादान तथा औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान के भुगतान में आने वाले सभी व्यय जिसमें आवश्यकतानुसार विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सालिस्टर शुल्क व अन्य आनुसंगिक व्यय शामिल है, पात्र इकाई के द्वारा देय होगा।

3.8 ब्याज उपादान तथा औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड

इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर छूट/प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

4- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016 में निहित व्यवस्थानुसार, किसी भी इकाई को समस्त स्रोतों से अनुमन्य होने वाला वित्तीय प्रोत्साहन, उस इकाई के स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

5- आईटी एवं इलेक्ट्रानिकस अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-577/78-1-2013-23/2013 दिनांक 05 सितम्बर 2013 को एतद्द्वारा अवक्रमित किया जाता है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>सँख्या-1135/(1)/78-1-2016 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0।

2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

4- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।

5- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- प्रमुख सचिव, व्यापार कर विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

9- निदेशक, उद्योग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

11- निजी सचिव, विशेष सचिव(भू/एन), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

12- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को/अपट्रान इण्डिया लि0/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0/श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।

13- गार्ड फाइल।

<u>संलग्नक-यथोपरि।</u>

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवें स्टार्ट–अप नीति–2016 के अन्तर्गत प्रोत्साहन के लिए आवरण–पत्र
(कम्पनी के लेटर पैड पर)

सेवा में,

कार्यदायी संस्था (यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड)
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषयः उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवें स्टार्ट–अप नीति–2016 के अन्तर्गत ब्याज उपादान की मॉग

महोदय,

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवें स्टार्ट–अप नीति–2016 और तत्सम्बन्धी शासनादेशों के परीक्षणोंपरान्त हम, अधोहस्तक्षरी, एतद्द्वारा अपना आवेदन–पत्र (अनुलग्नक–अ) संलग्न करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवें स्टार्ट–अप नीति–2016 में वर्णित प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की मॉग करते हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे अनुलग्नकों, वित्तीय प्रलेखों, घोषणाओं, प्रमाणन, प्रदर्शों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ–साथ आवेदन–पत्र अथवा उसके किसी भाग में निहित सभी सूचनायें सत्य, सही एवं परिपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें निहित कथन किसी महत्वपूर्ण तथ्य के प्रति विभाग को पूर्णतः अथवा अंशतः भ्रमित नहीं करते, इस आवेदन में समस्त आवश्यक सूचनायें समाविष्ट हैं।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इसके पूर्व दी गई सूचनायें और अन्य संलग्न पत्रादि सभी प्रकार से सत्य और सहीं हैं। हम वचनबद्ध हैं कि राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा इस प्रकार के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मांग न तो पहले की गई है और न ही प्राप्त किया गया है। हम पुनः यथा आवश्यकता, विवरणों को अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने का वचन देते हैं।

हम सहमत हैं कि हमारे आवेदन को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का आपके विवेकाधीन पूर्णाधिकार है।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमें अपने निगम/कम्पनी/फर्म/संगठन की ओर से कार्यवाही करने तथा इस दस्तावेज एवं ऐसे अन्य दस्तावेजों को, जोकि इस सम्बन्ध में आवश्यक हो, को हस्ताक्षरित करने का अधिकार है।

स्थानः
तिथिः

स्वामी/ साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के हस्ताक्षर
एवं मुहर

अनुलग्नक–अ

आवदेन–पत्र

(क)	इकाई का विवरण				
a.)	नाम				
b.)	प्रबन्ध निदेशक / प्रबन्धन साझीदार / स्वामी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम एवं पदनाम				
c.)	इकाई का पता				
d.)	दूरभाष नं0				
e.)	सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नॅं0				
f.)	फैक्स नॅं0				
g.)	ई–मेल				
h.)	वेबसाइट				
i.)	पंजीयन प्रमाण–पत्र संख्या				
j.)	सर्विस टैक्स पॅंजीयन सं0				
k.)	परमानेन्ट एकाउण्ट सं0 (PAN)				
l.)	संगठन का संविधान	स्वामित्व वाली	☐	साझेदारी	☐
		प्राइवेट लिमिटेड	☐	सहकारी	☐
		सार्वजनिक	☐	समिति	☐
m.)	व्यवसाय प्रारम्भ की तिथि				
(ख)	इकाई द्वारा प्राप्त किये गये ऋण का विवरण				
a.)	बैंक / वित्तीय संस्थान का नाम, पता व दूरभाष सं. ई–मेल				
b.)	ऋण की धनराशि				
c.)	ऋण वितरण की तिथि				
d.)	ऋण की प्रकृति	सावधि ऋण	☐	कार्यशील पूॅंजी ऋण	☐
e.)	ब्याज की प्रकृति	स्थिर (Fixed)	☐	अस्थिर (Floating)	☐
f.)	ऋण पर देय ब्याज, एवॅं पूर्व वर्षों में प्राप्त ब्याज उपादान का विवरण				

वर्ष	वित्तीय वर्ष	देय ब्याज (%)	कुल देय ब्याज धनराशि (रूपये)	सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में पिछले 6 माह के लिए दावा की गई ब्याज उपादान की राशि (रूपये)	सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में पिछले 6 माह के लिए स्वीकृत ब्याज उपादान की राशि (रूपये)		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

(ग)	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख				
a.)	व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने के सम्बन्ध में, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण–पत्र	हॉ	☐	नहीं	☐

b.)	पिछले जमा किये गये नवीनतम वाणिज्य–कर विवरणी की प्रति	हाँ ☐	नहीं ☐	
c.)	पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति	हाँ ☐	नहीं ☐	
d.)	सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति	हाँ ☐	नहीं ☐	
e.)	PAN CARD की प्रति	हाँ ☐	नहीं ☐	
f.)	बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृत होने व देय ब्याज की दर तथा कम्पनी/इकाई द्वारा देय एवॅ भुगतान की गई ब्याज धनराशि का विवरण व बैंक/वित्तीय संस्था से उसकी पुष्टि सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण–पत्र	हाँ ☐	नहीं ☐	
g.)	आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016 के अन्तर्गत प्राप्त किये गये अन्य प्रोत्साहन/छूट का अद्यतन विवरण	प्रोत्साहन/छूट की प्रकृति	तिथि	धनराशि

स्थानः
तिथिः

स्वामी/ साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के हस्ताक्षर एवं मुहर

औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान प्राप्ति की इच्छुक इकाई द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त अभिलेख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हैः–

- आवेदक इकाई के पिछले 2 वर्षों के व्यवसाय का विवरण (बैलेन्स–शीट), क्षमता विस्तार तथा अतिरिक्त पूॅजी विनियोजन का विवरण दर्शाते हुए चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट द्वारा प्रमाणित किया जाना वॉछनीय होगा।
- कार्मिकों का भविष्य निधि यूनीवर्सल खाता संख्या (यू0ए0एन0) दर्शाते हुए इकाई के कार्मिकों का विवरण

अनुलग्नक—ब

बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृत होने व देय ब्याज की दर तथा कम्पनी/इकाई द्वारा देय एवँ भुगतान की गई ब्याज धनराशि का विवरण

(बैंक/वित्तीय संस्था के लेटरहेड पर)

संख्या:

दिनॉक :

<u>जिससे भी सम्बन्धित हो</u>

एतद्द्वारा सत्यापित किया जाता है कि सर्वश्री .... के पॅजीकृत कार्यालय .... तथा कम्पनी/इकाई.. द्वारा ....(बैंक/वित्तीय संस्था का नाम) से सावधि ऋण / कार्यशील पूँजी ऋण प्राप्त किया गया है, जिससे सम्बन्धित प्रमुख विवरण निम्नवत् है:—

1	स्वीकृत ऋण की धनराशि	:	रू ....
2	स्वीकृत ऋण के विरुद्ध प्रथम देय किश्त की धनराशि	:	रू ....
3	प्रथम किश्त की देय तिथि	:	....
4	ऋण की प्रकृति	:	सावधि ऋण / कार्यशील पूँजी ऋण
5	ब्याज की प्रकृति	:	स्थिर (Fixed) / अस्थिर (Floating)
6	ऋणी द्वारा ऋण पर देय ब्याज की दर	:	.... प्रतिशत वार्षिक
7	वित्तीय वर्ष में पिछले 6 माह में ऋणी द्वारा कुल अदा की गई मूल धनराशि	:	रू ....
8	वित्तीय वर्ष .... में पिछले 6 माह में ऋणी द्वारा ऋण पर कुल देय ब्याज की धनराशि	:	रू ....
9	वित्तीय वर्ष .... में पिछले 6 माह में ऋणी द्वारा ऋण पर कुल अदा की गई ब्याज की धनराशि	:	रू ....

पुनः प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सर्वश्री .... इस बैंक/ संस्था द्वारा डिफाल्टर घोषित नहीं की गई है।

स्थान:

तिथि:

हस्ताक्षर एवं मुहर

अनुलग्नक–स

(सन्दर्भः शासनादेश सॅख्या 621/78–1–2016–25/2012 टी0सी0–2. दिनॉक 14–07–2016)

1 (अ) "नई इकाई" का तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से सम्बन्धित ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली प्रोपराइटरशिप फर्म्स, कम्पनियों, समितियों एवं साझेदारी वाली नई इकाइयों से है जिनके द्वारा शासनादेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों।
(ब) "एम.एस.एम.ई.(MSME) सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योग" का तात्पर्य ऐसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र इकाइयों से है जिनका वार्षिक व्यवसाय (Turn-over) रु 25 करोड़ तक हो।

2 "कम्पनी" से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग से सम्बन्धित ऐसी कम्पनी से है, जिसका गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत किया गया हो।

3 "सोसायटी" से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग से सम्बन्धित ऐसी सोसायटी से है, जिसका गठन सोसायटीज अधिनियम 1860 के अन्तर्गत किया गया हो।

4 "पार्टनरशिप" से तात्पर्य ऐसी साझेदारी फर्म से है जिसका गठन भारतीय साझेदारी अधिनियम–1932 के अन्तर्गत किया गया हो।

5 "वित्तीय संस्थान" से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित समस्त बैंकों तथा ऐसे सभी वित्तीय संस्थानों से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और जिनका नियमन उसके द्वारा किया जाता है।

6 "ऋण वितरण की तिथि" का तात्पर्य उस तिथि से है जिस तिथि से किसी वित्तीय संस्था द्वारा पात्र इकाई को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/ सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग से सम्बन्धित कार्यों हेतु ऋण धनराशि की प्रथम किश्त उपलब्ध करा दी गयी हो।

7 "वर्ष का तात्पर्य दिनॉक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

8 "स्थिर पूँजी निवेश" का तात्पर्य भूमि, भवन, प्लान्ट, मशीनरी तथा पूँजीगत परिसम्पत्तियों में किये गये ऐसे निवेश से है जिसके माध्यम से निर्मित सामग्री/सेवा की बिक्री/अतिरिक्त बिक्री की प्रथम तिथि शासनादेश के निर्गत होने की तिथि को या उसके बाद पड़ती हो।

9 "व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ की तिथि" का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्रमाणित, नये स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं (Goods and Services) की बिक्री की प्रथम तिथि से है।

10 "**सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग**" के अन्तर्गत सम्मिलित हैं सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयॉं/ कम्पनियॉं इत्यादि। सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों/ कम्पनियों में सम्मिलित है सू0प्रौ0 एप्लीकेशन्स (IT applications), सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें। सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से अभिप्राय है बी0पी0ओ0/ के0 ।पी0ओ0/ परामर्शी (consulting)/'एनीमेशन (animation)', 'गेमिंग (gaming)' तथा अन्य ज्ञान उद्योग (knowledge industry)।

11 **सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अन्तर्गत सन्निहित है, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं :–**

- एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (Application Software)

- आपरेटिंग सिस्टम – Operating System
- मिडिलवेयर / फर्मवेयर (Middleware/ Firmware)
- उक्त सॉफ्टवेयर में किसी भी अवयव (component) का विकास
- इन सॉफ्टवेयर की डिजाइन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना
- प्रणाली का एकीकरण (System Integration Work)/सॉफ्टवेयर हेतु अवयव (component)
- सॉफ्टवेयर में कोई स्थानीय (Localization) एवं Supply Chain Management कार्य
- विस्तार विकास (Extension Development) (मुख्य सॉफ्टवेयर के बाहर के मॉड्यूल्स)

12 **सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं** का आशय उन सेवाओं से है जो किसी सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद में सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका मूल्य संवर्द्धन करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में निहित है:–

- इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
- ई–मेल सर्विस प्रोवाइडर।
- विश्वव्यापी वेब (World wide web) सर्विस प्रोवाइडर।
- ई–कामर्स तथा कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट।
- इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेन्ज (EDI) सेवायें।
- वीडियो कान्फ्रेंसिंग।
- वी–सैट – आई.एस.डी.एन सेवायें।
- इलेक्ट्रानिक डाटा सेन्टर कार्यकलाप।

13 **सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं** में वे सभी प्रकियायें एवं सेवायें सन्निहित हैं जो व्यापक व्यापारिक वर्ग को, टेलीकाम संचार तंत्र अथवा इन्टरनेट के माध्यम से प्रदान की जाती हैं जैसे मेडिकल ट्रॉसक्रिप्शन, लीगल डेटा बेस प्रोसेसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आईपीआर सर्विसेज, डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट/ एनीमेशन, रिमोट मेन्टीनेन्स, बैक–आफिस आपरेशन्स – लेखा एवं वित्तीय सेवायें, इलेक्ट्रानिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श, बॉयो इन्फार्मेटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग तथा काल–सेन्टर आदि।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में सन्निहित किन्तु यहीं तक सीमित नहीं:–

- बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेण्ट (BPM)।
- ग्राहकों से वार्तालाप से सम्बन्धित सेवायें (Customer Interaction Services) जैसे वार्तालाप/सम्पर्क केन्द्र (Call/Contact Centres) तथा ई–मेल, हेल्प–डेस्क।
- इन्जीनियरिंग एवं डिजाइन।
- बैक आफिस प्रोसेसिंग।
- वित्त एवं लेखा (रिमोट द्वारा)।
- बीमा दावों को निपटाने की प्रक्रिया – इंश्योरेन्स क्लेम प्रोसेसिंग (रिमोट द्वारा)
- मानव संसाधन सेवायें (रिमोट द्वारा)।
- वेबसाइट विकास एवं अनुरक्षण सेवायें (Website development & maintenance services)।
- डेटा सर्च, इन्टीग्रेशन एण्ड एनालिसिस (Data Search, Integration & Analysis) तथा नेटवर्क परामर्श एवं प्रबन्धन (Network consulting and Managment)।
- दूरस्थ शिक्षा (Remote Education)।
- एनीमेशन – (रिमोट द्वारा)।

- गेमिंग ।
- मार्केट रिसर्च (रिमोट द्वारा)।
- अनुवाद (Translation) , नकलनवीसी (Transcription) तथा स्थानीयकरण (Localization) (रिमोट द्वारा)।
- परामर्श (रिमोट द्वारा) सम्बन्धित विषयः–
  - सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर।
  - ई0आर0पी0 (Enterprise Resource Planning) जैसे SAP, ORACLE इत्यादि।
  - सी0आर0एम0 – ग्राहक सम्पर्क प्रबन्धन (Customer Relationship Management)।
  - एम0आर0एम0 – (Marekting Resources Management)।
  - तकनीकी सहायता (Technical Support)।
  - बिजनेस सिस्टम्स एण्ड प्रोसेसेज (Business Systems & Processes)।
- डेटा प्रोसेसिंग।
- सिस्टम इन्टीग्रेशन एण्ड कस्टमाइजेशन।
- सिस्टम अपग्रेडेशन सर्विसेज।
- डिजाइनिंग एवं डिजाइनिंग सिस्टम्स।
- काल सेन्टर्स।
  - वायस – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड – दोनों।
  - डेटा – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड – दोनों।
- सॉफ्टवेयर एक्सटेन्शन डेवलपमेण्ट।
- आईटी फेसिलिटीज मैनेजमेण्ट (रिमोट व्यवस्था सहित)।
- '**रिमोट द्वारा**' का तात्पर्य इन्टरनेट/दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से दूरस्थ स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं की उपलब्धता से है।

14 "व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ की तिथि" का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्रमाणित, नये स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं (Goods and Services) की बिकी की प्रथम तिथि से है।

15 "कार्यदायी संस्था" अथवा "नोडल एजेन्सी" का तात्पर्य शासन द्वारा शासनादेश के माध्यम से "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट–अप नीति–2016" के अन्तर्गत नामित कार्यदायी संस्था/नोडल एजेन्सी से है। शासन द्वारा यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था/नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

16 नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट–अप नीति–2016 के प्रस्तर 3.4.1 में पारिभाषित नीति कार्यान्वयन इकाई से है।

अनुलग्नक–द

वचन–पत्र

मैं ....(नाम) आयु लगभग ... वर्ष पुत्र श्री .... निवासी .... – अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा निम्नवत् कथन करता हूँ:–

1 यह कि अधोहस्ताक्षरी सर्वश्री .... (नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय ....(पता) एवॅं फैक्ट्री ....(पता) पर है, का स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक * है।

2 यह कि सर्वश्री .... द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅं स्टार्ट–अप नीति–2016 में विहित व्यवस्थानुसार, ब्याज उपादान की प्राप्ति हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

3 यह कि भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की परिभाषा के अन्तर्गत आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* – सर्वश्री .... एक पूरक/सूक्ष्म/लघु*उद्यम है तथा ब्याज उपादान हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय कार्यरत/उत्पादनरत* थी तथा फर्म/कम्पनी/ प्रतिष्ठान* निरन्तर कार्यरत/ उत्पादनरत* रही है।

4 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/वित्तीय संस्थान आदि* की किसी भी योजना के अन्तर्गत ब्याज उपादान/ प्रतिपूर्ति* प्राप्त नहीं की गई है।

5 यह कि यदि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* को ब्याज उपादान/प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है तो इस तथ्य की उद्घोषणा मैं आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* की ओर से केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/ वित्तीय संस्थान* इत्यादि द्वारा संचालित इसी प्रकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन/अनुदान/उपादान/प्रतिपूर्ति. का दावा करते समय करुँगा।

6 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/ प्रतिष्ठान* का वार्षिक व्यवसाय रू 100 करोड़ से अधिक है एवं उसके द्वारा .... की अवधि में अतिरिक्त पूॅंजी निवेश के माध्यम से 25 प्रतिशत / अथवा अधिक क्षमता विस्तार अर्जित किया गया है।

7 यह कि अधोहस्ताक्षरी स्वयं तथा आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* की ओर से वचन देता है कि उपरोक्त उद्घोषणा गलत अथवा असत्य अथवा भ्रामक पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त उल्लिखित कार्यकलाप के लिए प्राप्त की गई पूर्ण धनराशि का भुगतान लिखित माँग किये जाने से सात दिनों के अन्दर कर देगा एवं ऐसा कर पाने में असफल रहने पर शासन को अधिकार होगा कि वह प्रोत्साहन राशि की वसूली 15 प्रतिशत ब्याज सहित भू–राजस्व की भॉति कर ले।

स्थान आवेदक इकाई के स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक
तिथि

टिप्पणी : जो सूचना/ धारा लागू न हो उसे काट दें।